

महाराष्ट्र शासन

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल
शासकीय अध्यापक महाविद्यालय परिसर, पनवेल, निं. रायगड - ४१० २०६.

ई-मेल पत्ता :- Jdhe.pnvl-mah@gov.in Website- http://jdhepanvel.org

दूरध्वनी व फॅक्स नंबर (०२२-२७४५३८२०)

दिनांक : ८ /११/२०२३

जा.क्र.विससं/उशि/कोविप/कार्यभार/पदमान्यता/मशि/२०२२-२३/ २८९६

प्रति,

प्र. प्राचार्य,

एम. बी. मोरे फाऊंडेशनचे,

कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महिला महाविद्यालय,

मु. धाटाव, ता. रोहा, निं. रायगड.

विषय :- विषय निहाय शिक्षक व विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकतर पद मान्यता (२०२२-२३).

संदर्भ १ शासन निर्णय क्र. यु.एस.सी/१९७८/२५२५१/रोमन-३२सेल, दिनांक १९/०६/१९७८.

२ शासन निर्णय क्र. एनजीसी/२००९/(३३/०९)मशि-३ दिनांक १८/०२/२००९.

३ शासन निर्णय क्र. एनजीसी/१२८६/१२२४/५९८७/युजीएफ-४, दिनांक २७/०२/१९८९.

४ शासन निर्णय क्र. बीजीटी/१९७९/प्र.क्र.२४/अ/अर्थसंकल्प-११, दिनांक १५/१२/१९९८.

५ विद्यापीठ अनुदानित आयोग नवी दिल्ली, अधिसूचना क्रएक ३. १/२००९, दि. -३०/०६/२०१०

शासन आदेश क्र. एनजीसी २०१२/(११/१२)मशि-४, दि. १५ जून, २०१२ नुसार कला, वाणिज्य, विज्ञान, बी.एस., वाणिज्य

६ (फायनान्स अँड मार्केटिंग), विज्ञान (आय टी)(कॉम्प्युटर सायन्स) या शाखेस शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ पासून कायम विना अनुदान तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता.

७ मुंबई विद्यापीठाचे संलग्नीकरण पत्र क्र.Aff./ICM/२०१२-१३/I/४१८, दि. १९/०७/२०१२.

८ शासन निर्णय न्यायाप्र-२०१४/(प्र.क्र.३२१/१४)/विशि-१, २४/०८/२०१५.

९ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४१/अर्थ दि-०२/०६/२०१५ व समक्रमांक दि.१५/०१/२०१६

१० वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आ.पु.कक्ष, दि. २५ मे, २०१७.

११ मुंबई विद्यापीठाचे पत्र क्र. वि. कक्ष/-आयसीटी/२०१७-१८/१५७, दि. ०२/०६/२०१७.

१२ आपले पत्र क्र. MBM/१८५१/२०२३, दि. ०४/१०/२०२३.

आपले उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भीय पत्र क्र. १२ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार कायम विना अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकड्या, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे, असे गृहित धरून पडताळणी केली आहे. आपण सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कायम विना अनुदानीत तुकड्यांची माहिती खालीलप्रमाणे.

| विद्याशाखा | कायम विना अनुदानित मंजूर तुकड्यांची संख्या | विद्यार्थी संख्या | | |
|--------------------|--|-------------------|----------|-------|
| | | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित | रिक्त |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ बी. ए. -१ | १ | १२० | ४८ | ७२ |
| बी. ए. -२ | १ | १२० | २५ | ९५ |
| बी. ए. -३ | १ | १२० | २७ | ९३ |
| एकूण | ३ | ३६० | १०० | २६० |
| २ बी.कॉम. -१ | १ | १२० | ७३ | ४७ |
| बी.कॉम. -२ | १ | १२० | ६७ | ५३ |
| बी.कॉम. -३ | १ | १२० | ५९ | ६१ |
| एकूण | ३ | ३६० | १९९ | १६१ |
| ३ बी.एस्सी - १ | १ | १२० | ९४ | २६ |
| बी.एस्सी - २ | १ | १२० | ७१ | ४९ |
| बी.एस्सी - ३ | १ | १२० | ६३ | ५७ |
| एकूण | ३ | ३६० | २२८ | १३२ |
| एकत्रित एकूण १+२+३ | ९ | १०८० | ५२७ | ५५३ |

विभागीय सहसंचालक,
उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल

संदर्भाधीन शासन निर्णय व संचालनालयाकडील पत्र आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहीत केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमूद असणा-या कार्यभारप्रमाणे आपल्या महाविद्यालयास खालीलप्रमाणे शिक्षक संवर्गातील पदांना मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ. क्र. | विषय | २०२२-२३ चा एकूण कार्यभार | २०२२-२३ ची मंजूर पदे | | सध्या भरलेली पदे | | रिक्त पदे | शेरा |
|---------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| | | | पुर्णवेळ | तासिका | पुर्णवेळ | तात्पुरत्या स्वरूपात | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १ | इंग्रज (बीझनेस कम्युनिकेशन) | ८ | | १ Chb | | १ Chb | ० | ० |
| २ | मराठी | १३ | १ | ० | १ | | | ६ FC |
| ३ | इतिहास | २१ | १ | ० | ० | तात्पुरत्या स्वरूपात | १ | ० |
| ४ | भूगोल | २१ | १ | | | तात्पुरत्या स्वरूपात | १ | ४ EVS |
| ५ | वनस्पतीशास्त्र | १२१ | ६ | | | तात्पुरत्या स्वरूपात | ६ | |
| ६ | प्राणीशास्त्र | ३० | १ | | | तात्पुरत्या स्वरूपात | १ | |
| ७ | रसायनशास्त्र | १२१ | ६ | | १ | तात्पुरत्या स्वरूपात | ५ | |
| ८ | वाणिज्य | १८ | १ | ० | ० | तात्पुरत्या स्वरूपात | १ | Bus. Law. ४ |
| ९ | लेखाशास्त्र | १९ | १ | | १ | | | |
| १० | गणित | १३ | १ | ० | ० | तात्पुरत्या स्वरूपात | १ | ६ FC |
| ११ | बीझनेस इकॉनॉमिक्स* | ९ | ० | १ Chb | | १ Chb | ० | ० |
| १२ | बीझनेस लॉ* | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १३ | पर्यावरण शास्त्र* | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १४ | पायाभुत अभ्यास* | १८ | ० | ० | ० | ० | ० | |
| १५ | जाहिरात कला * | ४ | | १ Chb | | १ Chb | | |
| १६ | ग्रंथपाल | - | १ | - | १ | | ० | |
| १७ | प्राचार्य | - | १ | - | | | १ | ६ FC |
| | एकूण | ४२४ | २१ | ३ Chb | ४ | ३ Chb + तात्पुरत्या स्वरूपात | १७ | |

विभागीय सहसंचालक,
उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल

● नवीन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरी शिवाय भरण्यात येवू नयेत.

| अ.क्र. | | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|--------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| १ | प्राचार्य | १ | | १ |
| २ | पूर्णविळ शिक्षक | | | |
| | I) सहाय्यक प्राध्यापक | १९ | ३ | १६ |
| | II) सहयोगी प्राध्यापक | | | |
| | III) प्राध्यापक | | | |
| ३ | एकूण | १९ | ३ | १६ |
| | IV) ग्रंथपाल | १ | १ | |
| | V) शा.शि.संचालक | | | |
| | VI) अर्धविळ | | | |
| ४ | VII) तासिका | ३ | ३ | |
| | एकूण १+२+३ | २१+३ CHB | ४+३ CHB | १७ |

कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयास वरील प्रमाणे जादा पदे / पूर्वीची पदे खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती कळविण्यात येत आहे.

- आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भाधीन प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग / तुकड्या / विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पटावर असणे आवश्यक आहे.
- व्याख्याने / प्रात्यक्षिके / टयुटोरियल (पाठ निर्देशन) प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) या करिता नमूद असणा-या तासिका युजीसी, विद्यापीठ तसेच शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरुरीचे आहे.
- प्रात्यक्षिकांकरीता विज्ञान शाखातील प्रथम वर्ष ते तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरिता असणारा गट (बॅच) किमान १५ व २० याप्रमाणे संख्या असावी.
- विषय निहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षात वेळापत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणा-या व १८/२० तासिकापर्यंत कार्यभार अपूरा असणा-या सहाय्यक / सहयोगी प्राध्यापकांना कमी पडणारा कार्यभार कनिष्ठ / विनाअनुदान / त्याच वर्गावरील जादा विषयाचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे.
- सदर पदावरील नियुक्त्या प्रचलित असलेल्या व विद्यापीठ परिनियमानुसार गठीत केलेल्या समितीच्या व जाहिरातीच्या माध्यमातून तसेच शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यात याव्यात.
- विषयाची /विद्याशाखेची / तुकडीची किमान विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या प्रचलित नियमानुसार असावी.
- सर्व संबंधीत विषय / तुकडीची मंजूरी दिलेल्या व पात्र ठरविलेल्या तुकड्यांबाबतचे शासन आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे.
- पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे अनुदानपात्र कार्यभार कमी झाल्यास त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यात येईल.

शासन निर्णय दि. १३/०२/२००० व दि. १६/०६/२००० नुसार पात्र नसलेल्या (NET/SET) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या, तसेच बिंदुनामावली शिवाय खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करण्यास बंदी आहे. अशा नेमणूका तासिका तत्वावर गणल्या जातील. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकास ११ तासिकेपेक्षा जास्त तासिका देवू नयेत.

आपले महाविद्यालय हे शासनाकडून कायम विना अनुदान तत्वावर सरू करण्यांस दिलेल्या मंजूरीच्या अधीन राहूनच कार्यभार मंजूर करण्यांत येत आहे. त्यामुळे सदर पदावरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्यावरील खर्चासंबंधित व त्याची सर्वस्वी आर्थिक जबाबदारी महाविद्यालय / संस्था यांची राहील.

१४३
विभागीय संस्थानंचालक,
उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल

महाराष्ट्र शासन

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल

शासकीय अध्यापक महाविद्यालय परिसर, पनवेल, निर. रायगड - ४१० २०६.

ई-मेल पता :- Jdhe.pnvl-mah@gov.in Website- http://jdhepanvel.org दूरध्वनी व फॅक्स नंबर (०२२-२७४५३८२०)

जा.क्र.विसं/उशि/कोविप/कार्यभार/पदमान्यता /मशि/२०२२-२३/ २६१६

दिनांक :- ०६/११/२०२३

प्रति,

प्र. प्राचार्य,

एम. बी. मोरे फाऊंडेशनचे,

कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,

मु. धाटाव, ता. रोहा, निर. रायगड.

विषय :- शिक्षकेतर पद मान्यता (२०१७-१८)

संदर्भ :- आपले पत्र क्र. MBM/१८५१/२०२३, दि. ०४/१०/२०२३.

शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२२९९/(४७९५)/विशि-४, दिनांक २६/०८/१९९९ मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालयाचे कायम विनाअनुदान तत्वावरील विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या आहे असे गृहित धरून खालीलप्रमाणे शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात येत आहेत.

| | कायम विनाअनुदानित विद्यार्थी संख्या | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|
| | कला | वाणिज्य | विज्ञान | एकूण |
| वरिष्ठ महाविद्यालय | १०० | १११ | २२८ | ५२७ |
| कनिष्ठ महाविद्यालय | | | | |
| एकूण | १०० | १११ | २२८ | ५२७ |

| अ. क्र. | कार्यालय | २०२२-२३ अनुज्ञेय पदे | २०२२-२३ भरलेली पदे | २०२२-२३ रिक्त पदे | शेरा |
|---------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------|
| १ | प्रबंधक | - | - | - | |
| २ | लेखापाल | - | - | - | |
| ३ | अधिक्षक | १ | - | १ | |
| ४ | मुख्य लिपोक | १ | | १ | |
| ५ | वरिष्ठ लिपोक | १ | १ | ० | |
| ६ | कनिष्ठ लिपोक | २ | २ | ० | |
| ७ | लघुलेखक (कनिष्ठ/ वरिष्ठ) | | | | |
| ८ | शिपाई | २ | ४ | -२ | |
| ब | ग्रंथालय | | | | |
| ९ | सहा. ग्रंथालय | | | | |
| १० | ग्रंथालय लिपोक | | | | |
| ११ | ग्रंथालय परिचर | १ | | १ | |
| क | प्रयोगशाळा | | | | |
| १२ | प्रयोगशाळा सहाव्यक | १ | १ | ० | |
| १३ | प्रयोगशाळा परिचर | ४ | १ | ३ | |
| | एकूण | १३ | ९ | ४ | |

वाढीव नवीन पदे / रिक्त पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय (ना-हरकत प्रमाणपत्रा शिवाय) भरण्यात येवू नयेत.


वरीलप्रमाणे मंजूर आकृतीबधामुळे वाढीव पदे १०० व ५० बिंदू नामावलीप्रमाणे (प्रमाणसंहिता-१९८४) /म.ना.से. वे व शासकीय नियमाचे पालन करून भरण्यात यावीत.

नवीन पदावर नियुक्ती करण्यापूर्वी महाराष्ट्र विद्यार्थीठीय कायदा १९९४ नुसार व शासनाने वेळोवेळी नियमित केलेल्या आवेशान्वये व शासन आदेश संदर्भ ८ नुसार आपल्या महाविद्यालयास कायम विना अनुदान तत्वावर दिलेल्या परवानगीस अनुसरूप शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात येत आहे.

शासनाने निर्धारित केलेले मागासवार्ण्य / अपांग / स्वातंत्र्य सैनिक / महिला आरक्षण इ. घटकांसाठी विहित केलेले आरक्षण लक्षात घेऊन त्या त्या संवर्गातील आरक्षित / राष्ट्रीय पदे नियमित भरण्याबाबत कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व अनुशेषही नियमित पूर्ण करावा. शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या बाबतीत शासनाने विहीत वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता इत्यांदीचे पालन करून नियकत्या करण्यात याव्यात.

संस्था/ महाविद्यालयाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वेतनाची संपूर्ण जबाबदासरी संस्था/ महाविद्यालयाची शहील. किंवा अशा कर्मचा-यांसाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारे वेतन अनुदान दिले जाणार नाही.

नियुक्ती संदर्भात कोणतेही न्यायालयीन वाद अथवा आर्थिक दायित्वाचे प्रकार उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्ती संस्थेची गहील.


विभागीय सहसंचालक,
उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल